

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेरमो (तेनुधाट)।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(क)/(ख)के अंतर्गत

परमिशन वाद सं० 153 वर्ष 2024

आवेदक-आशा देवी

केता-श्री राजेन्द्र महतो

ग्राम-सुभाष नगर

टोला-पुरानाटांड

ग्राम-मायापुर

टोला-भुचुंगडीह

थाना-बेरमो

जिला-बोकारो

थाना-कसमार

जिला-बोकारो

आदेश की क्र०सं०

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

तारीख

02

01

आदेश पर की

कार्रवाई के बा

टिप्पणी तारीख

03

16/10/24

आदेश

यह वाद आवेदक-आशा देवी, पति-श्री दिनेश कुमार ठाकुर, ग्राम-सुभाष नगर, टोला-पुरानाटांड, थाना-बेरमो, जिला-बोकारो के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)/(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरणी निम्नवत:-

मौजा	थाना न०	खाता न०	प्लॉट सं०	कुल रकबा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा
ओरमो	117	07	339	10 डी०	10 डी०	टांड

को वो आवश्यक कार्य हेतु मो 10,00,000/- (दस लाख) रुपये में केता-श्री राजेन्द्र महतो, पिता-स्व० रथु महतो, ग्राम-मायापुर, टोला-भुचुंगडीह, थाना-कसमार जिला-बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(ख) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यलय के पत्रांक 893/रा०, दिनांक 08.08.2024 के माध्यम से अंचल अधिकारी कसमार से जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी कसमार के पत्रांक-587, दिनांक-25.09.2024 से वांछित जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि:-

01. बिक्रेता नाई (हजाम) जाति एवं केता कुर्मी (महतो) जाति के सदस्य हैं दोनों जो पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता एवं केता दोनों एक ही जिला-बोकारो के निवासी हैं।
02. बिक्री की जाने वाली भूमि का सर्वे खतियान में कनुआ कमर के नाम से दर्ज हैं तथा ऑनलाईन पंजी-II के पृष्ठ सं०-121, भौलुम सं०-09 में बिक्रेता श्रीमती आशा देवी के नाम से जमाबंदी कायम हैं एवं लगान रसीद वर्ष-2023-24 तक निर्गत हैं। जमाबंदी कायम होने का आधार केवाला हैं।
03. खतियानधारी रैयत से बिक्रेता स्वत है। बिक्री की जाने वाली भूमि बिक्रेता के हक व हिस्से के अंतर्गत आता है एवं बिक्रेता का दखल कब्जा में हैं।
04. प्रस्तावित भूमि भू-हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, सी०सी०एल० अधिग्रहित क्षेत्र से बाहर हैं।

उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया हैं।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता द्वारा अपने ब्यान में बतलाया गया हैं कि आवेदनांकित जमीन सर्वे खतियान में कनुआ कमर के नाम से दर्ज हैं तथा ऑनलाईन पंजी-II के पृष्ठ सं०-121, भौलुम सं०-09 में बिक्रेता श्रीमती आशा देवी के नाम से जमाबंदी कायम हैं एवं लगान रसीद वर्ष-2023-24 तक निर्गत हैं। बिक्री वाली जमीन उसके हक हिस्से की हैं जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

केता का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन को देखा है। उक्त जमीन पर कोई विवाद नहीं हैं, तथा वर्तमान में आवेदक के शांति पूर्ण दखल कब्जे में हैं।

उभय पक्ष अपने पक्ष निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं:-

01. बिकेता- केवाला की छायाप्रति हैं, लगान रसीद का छायाप्रति, आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

02. केता- आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

दोनों पक्षों का ध्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी कसमार से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिकेता नई (हजाम) एवं केता कुर्मी (महतो) जाति के सदस्य हैं जो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बिकेता एवं केता दोनों एक ही जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि बिकेता के हिस्से की जमीन है, जो केवाला के अधार पर हस्तित है जिसे वे आश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः आवेदक आशा देवी, पति-श्री दिनेश कुमार ठाकुर ग्राम-कुमार नगर टोला-पुनवाटोड, थाना-बेरमो, जिला-बोकारो को निम्नांकित भूमि:-

मौजा	खाता न0	प्लॉट सं0	कुल रकबा	बिकी रकबा	उत्तर सीमा	द0 सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
ओरमो 117	07	339	10 डी0	10 डी0	सड़क	गणेश कुमार	देवन्ती देव्या	पुरण कुमार
			कुल	10 डी0	(दस डिसमिल जमीन मात्र)			

मो0 10,00,000/- (दस लाख) रूपया या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से केता- श्री राजेन्द्र महतो, पिता-स्व0 रथु महतो, ग्राम-मायापुर, टोला-भुचुगडीह, थाना-कसमार जिला-बोकारो के साथ बिकी करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
बेरमो (तेनुघाट)।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
बेरमो (तेनुघाट)।

Car
aspin